

**कारखाने के रूप में किसी भवन का निर्माण करने/उसका
विस्तार करने/उपयोग करने के लिये प्लान के अनुमोदन के
लिये तथा अनुज्ञा के लिए आवेदन**
(कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत)

चरण-1	<p><u>आवेदन कब करें ?</u></p> <p>कारखाने के रूप में किसी भवन का निर्माण करने/उसका विस्तार करने/उपयोग करने के पूर्व।</p>
चरण-2	<p><u>आवेदन प्रपत्र</u></p> <p>एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर जाने के लिये यहाँ क्लिक करें । New User? Sign Up करें,</p> <p>प्रपत्र-1 अ, ऑन-लाईन भर कर भेजे तथा चाहे गये मूल प्रपत्र स्केन कर अपलोड करें</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>प्रपत्र-1 अ, डाऊनलोड कर भरे तथा एमपी ऑनलाईन किओस्क में चाहे गये प्रपत्रों के साथ जमा करें।</p>
चरण-3	<p><u>आवेदन कौन कर सकता है?</u></p> <p>केवल अधिभोगी। अधिभोगी कौन?</p> <ol style="list-style-type: none">1. प्रोप्रायटरशीप की दशा में:- प्रोप्रायटर2. भागीदारी फर्म होने की दशा में:- कोई भी भागीदार3. लिमिटेड कंपनी होने की दशा में:-कोई भी संचालक
चरण-4	<p><u>आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज (स्कैन कर अपलोड करें)</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो2. आवेदक के फोटो आयडेंटिटी की प्रति3. निर्धारित स्केल पर बने नक्शे (आटोकेड नक्शे पीडीएफ फार्मेट

	<p>में) निम्न दर्शाते हुए:-</p> <p>(i) कारखाने के स्थान तथा ठीक आस-पास के स्थान के समीप के भवनों और अन्य संरचनाओं, सड़क, नालियों आदि को सम्मिलित करते हुए जो 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर से कम न होने वाले मान से बनाया गया हो</p> <p>(ii) नैसर्गिक प्रकाश, संवातन तथा आपातिक दशा में बच निकलने के साधनों से संबंधित समस्त सुसंगत ब्यौरा उपदर्शित करते हुए विभिन्न भवनों और संरचनाओं के प्लान एलिवेशन तथा आवश्यक क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन संयंत्र का स्पष्ट अभिन्यास, बगल के रास्ते तथा पास पहुंचने के मार्गों की स्थिति, संडास और पेशाब घर और स्वच्छता की अन्य व्यवस्थाओं को प्लान में स्पष्टतः दर्शाया जाएगा और वे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर से कम न होने वाले मान से बनाये जाएंगे।</p> <p>(iii) होने वाली उत्पादन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट मय उत्पादन प्रक्रिया के संक्षिप्त विवरण के साथ।</p>
<p>चरण-5</p>	<p><u>शुल्क:-</u> कोई शुल्क लागू नहीं।</p> <p>एमपी ऑन लाईन के कार्यसंपादन बाबद शुल्क:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यदि एमपी ऑन लाईन किओस्क सेवा का उपयोग किया जाता है तो:- रू. 200/- 2. यदि एमपी ऑन लाईन किओस्क की सेवा नहीं ली जाती है तो:- रू. 120/-
<p>चरण-6</p>	<p><u>कार्यसंपादन शुल्क कैसे जमा करें?</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यदि एमपी ऑन लाईन किओस्क सेवा का उपयोग किया जाता है तो:- एमपी ऑन लाईन किओस्क पर नगद भुगतान द्वारा 2. यदि एमपी ऑन लाईन किओस्क की सेवा नहीं ली जाती है तो:- डेबीट / क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग कर
<p>चरण-7</p>	<p><u>आवेदन कैसे करें?</u></p> <p>कार्यालय/घर से एमपी ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>ऑन लाईन एमपी ऑन लाईन किओस्क के माध्यम से</p>

चरण-8	<u>अनुमोदन की समय-सीमा</u> यह सेवा ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति से 30 कार्य दिवस के अंदर
चरण-9	<u>अनुमोदित प्लान आवेदक कैसे प्राप्त करेगा?</u> डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त अनुमोदित प्लान आवेदक द्वारा पोर्टल से डाऊनलोड कर
चरण-10	<u>अपीलीय अधिकारी:-</u> प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल <u>अपील कब करें:-</u> आवेदक का आवेदन बगैर किसी कारण से निरस्त करने या समय-सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर आवेदक अपील करेगा।
चरण-11	<u>डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापन:-</u> आवेदक यदि चाहे तो स्वयं की संतुष्टि के लिए डिजीटल के सत्यापन हेतु प्रमाण-पत्र की साफ्ट कापी में डिजीटल हस्ताक्षर पर क्लिक करे।